महिला श्रम सेवा न्यास

प्रतिवेदन

2020–2021

महिला श्रम सेवा न्यास

96, बी–वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड़, इन्दौर
फोन–0731–2796288
Email:mssn.madhyapradesh@gmail.com

उद्देश्यः

महिला श्रम सेवा न्यास मध्यप्रदेश में गरीब श्रमजीवी एंव उनके परिवार के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु कार्यरत है। इस उद्देश्य की पुर्ति हेतु न्यास विभिन्न गविविधिया संचालित करता है जिसमें प्रमुख रूप से रोजगार के अवसर बडाना, शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से लाभ दिलवाना। खाद्यान्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं वित्तीय समावेशन एवं क्षमता विकास के कार्यक्रम संचालित किये जाते है।

वर्तमान में न्यास मध्यप्रदेश के 9 जिलों में अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहा है जो निम्नानुसार है:–

जिलों के नामः– इन्दौर, धार, देवास, बडवानी, उज्जैन, खण्डवा, सागर, मन्दसौर एवं छतरपुर।

इस वर्ष न्यास द्वारा निम्न गतिविधियों का आयोजन किया गया–

1. **जागरूकता कार्यक्रम**
2. **शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना**
3. **आजीवीका के अवसर बढ़ाना**
4. **राष्ट्रीय खाद्य सूरक्षा से जुडवाना**
5. **वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता कार्यक्रम**
6. **क्षमता विकास प्रशिक्षण**
7. **कोविड–19 आपदा में राहत कार्य**

1. जागरूकता कार्यक्रमः

कार्यरत जिलों में गरीब श्रमजीवी एवं उनके परिवारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया मुख्य रूप से सरकारी कल्याणकारी योजनाओं शासकीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, रोजगार की योजनाएँ जैसे मनरेगा, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीवीका मिशन एवं सस्ते राशन सम्बन्धित जानकारीया दी गई। बैंक में खाता खुलवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, परिवार समग्र आई.डी. बनवाने हेतु प्रक्रिया को समझाया गया।

1.1 शैक्षणिक सामग्रीः– समुदाय को विभिन्न योजना की जानकारी देने हेतु जारूकता सामग्री तैयार की गई। जिसमें – पेम्पलेट, पोस्टर, वाईस मैसेज व टैक्स मैसेज को तैयार किया गया एवं इनका उपयोग बैठक एवं शिविर में किया गया।

1.2 जागरूकता बैठक एंव शिविरः– इन्दौर, खण्डवा, उज्जैन व सागर की मलिन बस्तियों में एवं महूँ तहसील, छतरपुर की नौगावं तहसील, धार की सरदारपुर, बदनावर एंव तिरला तहसील, देवास की चापड़ा एवं बागली तहसील के गावं में 456 जागरूकता बैठक एवं 56 शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बहनों एंव भाईयों ने भाग लिया।

निम्न तालिका में बैठक एंव शिविर की सम्पूर्ण जानकारी है–

क्रमांक	जिला	बैठक		शिविर	
		संख्या	प्रतिभागी	संख्या	प्रतिभागी
1	इंदौर	39	1540	17	855
2	खण्डवा	20	810	10	540
3	देवास	30	1212	14	710
4	उज्जैन	28	1124	11	524
5	छतरपुर	19	762	4	240
6	धार	164	2358	0	0
7	बडवानी	156	2412	0	0
	कुल	**456**	**10,218**	**56**	**2,869**

2. शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना

- **केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभ दिलवाने हेतु समुदाय को सहायता की गई। जिसमें प्रमुख रूप से योजनाओं के आवेदन में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, एवं आवेदन पत्र भरने में सहायता की गई। विभिन्न विभागों में जाकर आवेदन पत्र जमा करने हेतु मार्गदर्शन दिया। विशेष से ग्राम पंचायत, नगर निगम एंव कल्याणकारी मण्डलों की योजना से लाभ दिलवाने के प्रयास किए गए।**

इस वर्ष 52442 महिला एवं उनके परिवारों को रू. 89255072 राशि प्राप्त हुई।

क्रमांक	गतिविधि	लाभांवित सदस्य	राशि
1	कल्याण मण्डल की योजनाएं	15,668	7,78,40,000
2	नगर–निगम एवं ग्राम पंचायत से लाभ	36,774	1,14,15,072
	कुल	**52,442**	**8,92,55,072**

3. आजिवीका के अवसर बढ़ाना–

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतू कार्य किये गये। विभिन्न गतिविधियॉ संचालित की गई जिसमें उनकों शासकीय व अर्धशासकीय एवं उद्योगिक सहकारी संस्थानों द्वारा आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण से जोड़कर प्रशिक्षण लेने में सहायता की गई एंव रोजगार देने वाली योजनाऍ जैसे मनरेगा, एंव शहरी ग्रामीण आजीवीका मिशन एवं लघु उद्योगों के माध्यम से अजीवीका के अवसर बढ़ाए गए।

3.1 कौशल विकास प्रशिक्षण

ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए न्यास ने कौशल विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार क लिए भविष्य निधि सहायता का आयोजन किया।

3.1.1 प्रशिक्षण

धार एवं बड़वानी जिलों के 41 गांव में बकरी पालन ,मुर्गी पालन , दुग्ध उत्पादन , खेती एवं सिलाई करने वाली 1000 महिलाओ को पिछले साल सेडमैप की मदद से 5 दिनों का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि वे अपने व्यवसाय में कार्यक्षमता बढ़ा सकें। सिलाई और दूध उत्पादन में कार्यरत महिलाओं को व्यवसाय योजना का प्रशिक्षण दिया गया, सिलाई करने वाली महिलाओं को डिजाइनर मास्क सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। मुर्गी पालन और बकरी पालन करने वाली महिलाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया और सरकार की विभिन्न सब्सिड़ी योजनाओ हेतु प्रशिक्षण दिया गया।

क्रमांक	रोजगार के प्रकार	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण संख्या	लाभांवित समुदाय
1	सिलाई	डिजाइनर मास्क	10	212
2	मुर्गी पालन, सिलाई और बकरी पालन	सरकार की विभिन्न सब्सिडी योजनाए	15	500
3	दुध उत्पाद	व्यवसाय योजना	15	300
4	कृषि कार्य	बीज उपचार	10	200
5	मुर्गी पालन, दुध उत्पाद और बकरी पालन	व्यावहारिक	10	200
6	मुर्गी पालन, दुध उत्पाद और बकरी पालन	एक्सपोजर विजिट (शैक्षिक यात्रा)	1	250
	कुल		**61**	**1,662**

3.1.2 रोजगार निधि सहायता

विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षणों के बाद धार और बडवानी जिलों की 1000 महिला उद्यमियों को 25,00,000 रूपये की रोजगार निधि सहायता प्रदान की गई, जिला धार व बडवानी की 1000 महिलाओं को विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण के पश्चात् उनके व्यवसाय को बडाने हेतु 2500000 व्यवसायीक निधि सहायता प्रदान की गई। जिसके अंतर्गत महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए।

क्र	व्यवसाय	रोज़गार के साधन	लाभांवित समुदाय
1	सिलाई	बिजली मशीन, कैंची, कटर, इंच टेप और प्रेस	291
2	मुर्गी पालन	चूजे, चारा और टीकाकरण	120
3	दुध उत्पाद	दूध के डिब्बे, चारे के लिए टब, दूध नापने का बर्तन	63
4	कृषि कार्य	स्प्रे पंप	221
5	बकरी पालन	चारा और चारे के लिए टब	305
	कुल		**1,000**

3.2 मनरेगाः

मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों द्वारा गांव में रहने वाले सभी परिवारों को जॉब कार्ड दिए जाते है, जिसकें माध्यम से रोजगार की जरूरत होने पर आवेदन करके रोजगार प्राप्त किया जाता है। इन्दौर जिले के महुँ तहसील, देवास जिले की बागली व चापडा, धार की सरदारपुर, बदनावर व तिरला, छतरपुर की नौगावं तहसील के ग्रामीणों को मनरेगा में आवेदन करने एंव रोजगार प्राप्त करने में सहायता की गई।

क्रमांक	जिला	लाभांवित समुदाय
1	इंदौर	5,152
2	धार	8,287
3	बडवानी	4,632
4	देवास	5,286
5	छतरपुर	3,606
	कुल	**26,963**

3.3 राष्ट्रीय आजीवीका मिशन (ग्रामीण)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवीका मिशन के तहत, धार एवं बडवानी जिले में महिलाओं को रोजगार से जोडने हेतु 100 समुह बनाकर रोजगार हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवीका मिशन के माध्यम से सब्सिडी ऋण सुविधा से जोडा गया। जिसमें 643 बहनों को 10000 प्रति महिलाओं के हिसाब से लोन दिलवाया गया।

क्रमांक	जिला	लाभार्थी	राशि
1	धार	345	34,50,000
2	बडवानी	298	29,80,000
	कुल	**643**	**64,30,000**

मेरा नाम बैसा बाई है और मैं अपने पति और तीन बच्चों के साथ मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के गांधवाल गाँव में रहती हूँ। मेरे पति कमलेश एक दिहाड़ी मजदूर हैं जो 3,000 रुपये मासिक कमाते हैं, और यह हमारे परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पिछले साल जब मैं कमाने और अपने परिवार का समर्थन करने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रही थी, मैंने संस्था द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल सखी जागरूकता कार्यक्रम में दाखिला लिया। इसकी टीम ने मुझे बताया कि मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) समूह का हिस्सा बनने और ऋण और अन्य पात्रता योजनाओं का लाभ पाने के योग्य हूं।

संस्था ने मुझे एनआरएलएम के लिए पंजीकृत किया और मैंने प्रति माह समूह खाते में 100 रुपये की बचत करना शुरू कर दिया। 6 महीने के बाद संस्था ने मुझे सब्जी विक्रेता बनने के लिए एनआरएलएम से 30,000 रुपये का ऋण लेने में मदद की। अब मैं प्रति दिन ३०० रुपये कमाती हूं, जिससे मुझे न केवल अपने ऋण की किश्ते चुकाने में मदद मिलती है, बल्कि मेरे परिवार को आर्थिक रूप से भी सहायता मिलती है। संस्था ने मेरी मदद की और अपने लिए आजीविका के अवसर की कल्पना करना संभव बनाया।

3.4 शहरी समुदाय को रोजगार दिलवाया

न्यास के द्वारा इन्दौर, उज्जैन, सागर, खण्डवा शहर में टिफिन सेन्टर, अस्पताल, बुटिक, चुडी, पापड, अगरबत्ती, एंव सिलाई के लघु कारखानों से जोड़कर रोजगार दिलवाया जिसमें 3,559 महिलाओं को रोजगार मिला एंव उनकों 23,54,900 रूपये की आमदनी वर्ष भर में हुई।

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जोड़ना–

शासकीय उचित मुल्य की दुकान से शहरों एवं गांव में समुदाय को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत सस्ता राशन दिलवाने में सहायता की गई। जिसकें अंतर्गत उनके खाद्य कुपन बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में सहायता एंव खाद्य कुपन बनाने हेतु आवेदन पत्र भरने में सहायता की गई। जिनके पास खाद्य कुपन है उनकों अपने खाद्य कुपन को आधार कार्ड से जोडने हेतु मार्गदर्शन दिया। खाद्य कुपन पर उनकों प्रति सदस्य कितना राशन मिलेगा उसकी जानकारी दी एवं शासकीय उचित मुल्य की दुकान से सस्ता राशन लेने में यदि उनकों कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान हेतु कहॉ जाए? इसकी जानकारी दी गई। इस वर्ष 11,722 परिवारों को खाद्य कुपन दिलवाने में सहायता की गई एंव 18612 परिवारों के खाद्य कुपन को आधार कार्ड से जोडने हेतु मार्गदर्शन दिया।

निम्न तालिका में सम्पुर्ण जानकारी दर्ज है:–

क्रमांक	जिला	खाद्य कुपन	खाद्य कुपन से आधार से जोड़ना
1	इंदौर	3,236	3,691
2	खण्डवा	1,452	1,963
3	देवास	1,679	2,754
4	उज्जैन	1,356	2,063
5	छतरपुर	632	1,276
6	धार	1,755	3,422
7	बडवानी	196	1,525
8	सागर	1,416	1,918
	कुल	**11,722**	**18,612**

5. वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता कार्यक्रम

ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए एक एनिमेटेड वीडियो मार्गदर्शिका बनाई गयी, जिसके तहत बचत का महत्व, परिवार की आय और व्यय का लेखांकन, आय बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कार्य योजना, व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण योजनाओं की जानकारी, बीमा का महत्व, बैंक खाता खोलना और लेनदेन, एटीएम कार्ड का उपयोग, डिजिटल भुगतान के प्रकार और इसके लाभों को कवर किया गया था। 100 डिजिटल सखियों को टैबलेट दिए गए, जिसके माध्यम से वे घर–घर जाकर ग्रामीणों को शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं। इसके साथ ही वे ग्राम पंचायत से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त करें और डिजिटल भुगतान सुविधा के माध्यम से अपने बैंक खातों में प्राप्त राशि का उपयोग कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही हैं।

इसके अलावा गांव की छोटी दुकानों पर बारकोड और मिनी एटीएम लगवाने के लिए वे स्थानीय बैंक शाखाओं से समन्वय कर रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से 15 गांवों को डिजिटल गांव में बदला गया है, जिसमें सभी ग्रामीण डिजिटल भुगतान का उपयोग करते हैं।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न गतिविधियाँ की गईः–

क्रमांक	विवरण	लाभार्थियों की संख्या
1	घर–घर जाकर डिजिटल साक्षरता पर प्रशिक्षण	1,01,286
2	समुदाय के लोगो के फोन पर ऑनलाईन एप्लीकेशन इन्सटोलेशन	12,478
3	दुकान पर बार कोड लगवाए गए	1,859
4	आधार के माध्यम से पैमेंट की सुविधा से जोडा गया	10,903
5	बैंक में खाते खुलवाना एवं मोबाईल से लिंक करवाया गया	7,391
6	एटीएम चलाने का प्रशिक्षण दिया गया	7,491
	कुल	**1,41,408**

मेरा नाम रवि यादव है और मैं बड़वानी जिले के ओज़र गांव में रहता हूं, जिसकी आबादी 5,000 है। कुछ साल पहले, मैंने अपनी आजीविका कमाने के लिए कपड़े की दुकान खोली थी। पहले ग्राहक नकद में भुगतान करते थे, लेकिन मार्च से पूरे देश में तालाबंदी लागू होने के कारण सरकार द्वारा बैंक बंद कर दिए गए और एटीएम में पर्याप्त नकदी खत्म होने लगी। इससे बिक्री में तेज़ गिरावट आई क्योंकि ग्राहकों ने मेरी दुकान से कपड़े खरीदना बंद कर दिया। मैं अपने व्यवसाय के बारे में चिंतित होता जा रहा था, तब डिजिटल सखी संगीता मालवीय अप्रैल के महीने में मेरी दुकान पर आईं और मुझे भुगतान के डिजिटल तरीके के बारे में बताया और वह मेरे व्यवसाय को कैसे मदद कर सकता है।

उन्होंने मेरी दुकान पर बारकोड डालने में मेरी सहायता की और मुझे ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने के तरीके के बारे में बताया। संस्था के प्रयासों से ग्राहकों ने मेरी दुकान से कपड़े खरीदना और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करना शुरू कर दिया है। इससे मेरे व्यवसाय को बढ़ावा मिला है और मुझे सिर्फ नकद भुगतान पर टिके रहने की बाधा को दूर करने में मदद मिली है।

6. क्षमता विकास प्रशिक्षण

न्यास द्वारा संचालित गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्यकर्ता समुदायिक प्रतिनिधि जिसमें सुचना केन्द्र संचालिका, ग्राम समिति, डिजिटल सखी की क्षमता विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

6.1 सूचना केन्द्र संचालिका प्रशिक्षण

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में स्थापित 60 सुचना केन्द्र संचालिका बहनों के लिए 1 दिवसीय शाला प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें उनकों विभिन्न शासकीय कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार की योजनाओं की जानकारी एवं उनसे समुदाय को जोडने हेतु आवश्यक दस्तावेज की जानकारी एंव आवेदन फार्म भरने में सहायता करने का तरीका सिखाया। कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु वह किस तरह से समुदाय की जनजाग्रती करेगी उनकों समझाया गया। शहरी सुचना केन्द्र संचालिका एवं ग्रामीण सूचना केन्द्र संचालिका के प्रशिक्षण अलग–अलग आयोजित किए गए।

निम्न टेबल में प्रशिक्षण की जानकारी हैः–

क्रं	जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	इंदौर	26
2	खण्डवा	4
3	देवास	10
4	उज्जैन	6
5	छतरपुर	4
6	धार	5
7	सागर	5
	कुल	**60**

6.2 ग्राम समिति व्यवहारिक प्रशिक्षण

महूँ, धार, छतरपुर एंव देवास की 30 ग्राम समिति के सदस्यों को 1 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उन्हे ग्रामीणों को मनरेगा में रोजगार पाने हेतु आवेदन भरना सिखाया, नई योजनाए जो की ग्रमीणों के लिए संचालित है उनकी जानकारी दी जैसे कुटीर आवास, शौचालय निर्माण, वृक्ष रोपड़ आदि एवं उनको पंचायत एव जनपद पंचायत के कार्यालयों में भम्रण करवाया गया ताकि वे ग्रामीणों को योजनाओं से लाभ लेने मे सहायता कर सकें।

ये प्रशिक्षण कार्यक्रम गावं में आयोजित किए गए–

ग्राम समिति प्रशिक्षण

क्रं	जिला	प्रशिक्षण संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	इंदौर	12	115
2	देवास	10	95
3	छतरपुर	3	28
4	धार	5	46
	कुल	**30**	**284**

6.3 डिजिटल सखी प्रशिक्षण

डिजिटल सखी की क्षमता को विकसित करने के लिए धार और बड़वानी जिलों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान के साथ–साथ अन्य कार्यों को बेहतर तरीके से करने का प्रशिक्षण दिया गया।

क्रं	प्रशिक्षण का विषय	प्रतिभागियों की संख्या
1	एडवान्स मोड ऑफ पेमेन्ट पर प्रशिक्षण	100
2	सरकारी कल्याणकारी योजनाओं पर प्रशिक्षण	100
	कुल	**200**

7. कोविड–19 वैश्विक महामारी आपदा में राहत कार्य–

कोरोना वैश्विक महामारी आपदा से देश को बचाने हेतु तालाबन्दी की गई। तालाबंदी से गरीब श्रमजीवी परिवारों की आजीवीका के साधन बंद हो गये। उनके सामने दो जून की भोजन व्यवस्था का संकट खड़ा हो गया। केन्द्रीय शासन ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की जिसमें जनधन के खाते, विधवा, विकलांग व्यक्तियों को सीधे उनके बैंक खातों में 500 से 1000 रूपये 3 महिने तक देना, निर्माण श्रमिकों को कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 1000 रूपये प्रतिमाह 2 माह तक देने का प्रावधान किया। इसके साथ ही सस्ते राशन की दुकानों से तीन माह तक निशुल्क राशन वितरण सभी को देने का निर्णय किया।

7.1 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से समुदाय को जोड़ा

न्यास द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राज्य शासन की योजनाओं को समुदाय तक पहुचाने में अपनी भुमिका निभाई जिसमें योजना की जनजागरूकता की वाईस कॉल, टैक्स मैसेज के माध्यम से की एवं इस योजना में गरीब परिवारों को लाभ दिलवाने हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के साथ समन्वय किया।

जिसकी जानकारी निम्न तालिका में है–

क्र.	गतिविधि का नाम	लाभांवित संख्या
1	पीएम गरीब कल्याण योजना एवं राज्य शासन की कोविड राहत पैकेज के बारे में जानकारी और जागरूकता	1,27,969
2	निःशुल्क गैस दिलवाने में सहायता की गई (उज्जवला योजना)	5,942
3	किसान सम्मान योजना से लाभ दिलवाने मे सहायता की गई	24,477
4	विधवा पेंशन व वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन योजना का लाभ दिलवाने मे सहायता की गई	2,81,500
5	जन–धन खाता योजना लाभ दिलवाने मे सहायता की गई	4,208

6	भवन एवं और अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड योजना लाभ दिलवाने मे सहायता की गई	75,257
7	राशन कार्ड पर निःशुल्क खाद्यान्य दिलवाने में सहायता की गई	14,855
8	जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे उनको निःशुल्क खाद्यान्य दिलवाने मे सहायता की गई	4,525
कुल लाभान्वित परिवार		5,40,243

7.2 न्यास द्वारा कच्चे राशन का वितरण

न्यास द्वारा आर्थिक सहयोग देने वाली संस्थाओं से सम्पर्क करकें उनसे असहाय निशक्त और अतिगरीब परिवारों को तालाबंदी के समय कच्चे राशन किट के वितरण हेतु आर्थिक सहायता देने हेतु अनुरोध किया, हुमन केपेबिलीटी फॉउन्डेशन (HCF), होल्डींग इंडिया एवं एलटीएफएस ने कच्चे राशन के वितरण हेतु आर्थिक सहायता न्यास को प्रदान की। न्यास द्वारा असहाय निशक्त और अतिगरीब परिवार की सुची तैयार की गई जिनकों कही से भी राशन की सुविधा नहीं मिल रही थी इसके अंतर्गत 1285 परिवारों को कच्चे राशन कीट का वितरण किया गया। जिसमें आटा, दाल, तेल, मसाले, शक्कर व चायपत्ती दी गई।

निम्न तालिका में सम्पुर्ण जानकारी है:

क्र0	स्थान	परिवार की संख्या
1	इंदौर	312
2	उज्जैन	98
3	खंडवा	106
4	सागर	88
5	छतरपुर	132
6	देवास	198
7	धार	276
8	बडवानी	75
	कुल	**1,285**

7.3 आजीवीका के साधन पुनः स्थापित करने में सहायता की–

कोरोना वेश्विक महामारी के कारण हुई तालाबंदी में गरीब परिवारों के आजीवीका के साधन लगभग बंद हो गए थे, जिसमें विशेष कर प्रवासी श्रमिक, भुमिहीन किसान, निर्माण श्रमिक, दूसरों के घरों मे जाकर कार्य करने वाली महिलाए, स्वरोजगार करने वाले परिवार न्यास द्वारा तालाबंदी खत्म होने के पश्चात् इन परिवारों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए इन्दौर, उज्जैन, खण्डवा और सागर में पायलेट सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण में यह निकल कर आया की कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर दुसरों के घरों मे जाकर काम करने वाली महिलाएँ का काम 25 प्रतिशत रह गया। वे जिन घरों मे काम करने जा रही थी वे ज्यादातर मध्यमवर्गी और निम्नवर्गीय परिवार थे। उनके भी नौकरी और काम धन्धे बन्द हो गए थे। इसके साथ ही स्वरोजगार करने वाले परिवारों पर भी असर पड़ा है, क्योकिं उनकी संचित पुंजी खत्म हो गई। ये सभी दुसरों के घरों मे काम करने वाली महिलाएँ कुछ और काम करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण लेना चाहती थी एवं स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को संचित पुंजी की आवश्यकता थी।

7.3.1 न्यास द्वारा सम्पुर्ण कार्ययोजना तैयार की गई जिसमें जिन परिवारों को संचित पुजीं की आवश्यकता थी उनके लिए निम्न गतिविधियॉ की गई:

- उनकों सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम प्रारम्भ किया विशेष रूप से स्टीट वेन्डर के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के बारे में जन जागरूकता, आवेदन भरने में 24000 स्टीट वेन्डर की सहायता की गई।
- 10000 सिलाई करने वाली महिलाओं को जीवन शक्ति योजना जो की राज्य शासन के द्वारा कोरोना आपदा के दौरान प्रारंभ की गई थी उसमें ऑनलाइन पंजीयन करवाने मे सहायता की। पंजीयन के पश्चात् महिलाओं को 15 दिन मास्क सिलने का कार्य मिला।

- साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से उनकों रोजगार करने हेतु छोटा ऋण दिलवाने में सहायता की गई। जिसमें 1851 महिलाओं को 114972150 ऋण मिला।
- उद्योगिक सहकारी संस्था (रचना महिला गृह उद्योग) सहकारी संस्था से कच्चा माल लेने हेतु ऋण दिलवाने में सहायता की जिसमें 146 महिलाओं को ऋण मिला।
- धार, बडवानी में 200 महिलाओं के रोजगार को पुनः स्थापित करने के लिए समुह का गठन किया एवं उनके समुह को **राष्ट्रीय आजीवीका मिशन (ग्रामीण) से** जोडा एवं 200000 ऋण उपलब्ध करवाया जिसमें प्रति महिला को 10000 का ऋण मिला जिस पर उन्हें 3000 रूपये की सब्सिडी की सुविधा मिलेगी।

7.3.2 जिन महिलाओं को दुसरा रोजगार प्रारम्भ करने की आवश्यकता थी उनको रचना महिला गृह उद्योग के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण, मार्केटिंग प्रशिक्षण आयोजित किए:

- खाद्य पदार्थ जिसमें आलू चिप्स, मुंग बडी, साबुदाना पापड, आलू व साबुदाना चकली बनाने के एवं वॉशिंग पॉवडर बनाने का प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिसमें 456 महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया।
- प्रशिक्षण के पश्चात् महिलाओं के तैयार उत्पादन को रचना महिला गृह उद्योग के ब्रांड ''**रहवा**'' के अंतर्गत विक्रय करने के लिए मार्केटिंग के 62 प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- 1100 महिलाएँ अपने उत्पादन को रहवा ब्रांड के अंतर्गत विक्रय करने में सक्षम बनीं।

7.3.3 न्यास द्वारा 100 महिलाओ को 30000 हजार मास्क सिलने का कार्य दिया गया।

मेरा नाम गिरजा माली है। मैं झुग्गी झोपडी, आईटीआई कॉलोनी, खंडवा में रहती हूँ। मैं घरखाता मजदूर हूँ और सिलाई करती हूँ। मेरे पति होटल में काम करते है। हमारी 5 लड़कियां है। मैं और मेरे पति मिलकर अच्छे से हमारे बच्चों को पाल रहे थे लेकिन कोरोना महामारी के कारण देशभर में हुई तालाबंदी ने हमारा रोज़गार छीन लिया। मुझे सिलाई का काम मिलना बंद हो गया एवं मेरे पति का काम भी छूट गया। तालाबंदी में हमें निशुल्क राशन तो शासन से मिल गया किन्तु उसमें गेहूँ, चावल, नमक, घी ही मिला, बाकि अन्य राशन का सामान, दूध, बिजली बिल, घर का किराया देने में हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस मुश्किल समय में मुझे महिला श्रम सेवा न्यास से मास्क सिलने का कार्य मिला। उससे मुझे 2,500 से 3,000 रुपये तक की आमदनी हुई जिससे में घर का खर्च उठाने में सक्षम हुई।

7.4 कोरोना वायरस से स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कार्यः

कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने के दौरान न्यास ने गरीब परिवारों को इससे बचाने के लिए कई आवश्यक कदम उठाएः

- गरीब समुदाय को इसके बारे में जानकारी देने हेतु ई–जागरूकता समग्री तैयार की जिसमें पेम्पलेट एवं वाईस व टैक्स मैसेज शामिल थे।
- ई–जागरूकता सामग्री के माध्यम से 65000 से अधिक परिवारों के सदस्यों को कोरोना से बचाव व सुरक्षा हेतु जागरूक किया गया।
- तालाबंन्दी के दौरान 10000 प्रवासी श्रमिक जो कि न्यास के कार्यरत ग्रामीण क्षेत्रों में वापस अपने घर लौट कर आए थे उनकी कोविड–19 जॉच करवाना, कोराईनटाईन सेन्टर बनवाना एवं उनकों तैयार भोजन व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों को सहयोग किया गया।

- ग्रामीण क्षेत्र में 70 ग्राम पंचायत एवं 125 शहरी मलिन बस्तियों में सेनिटाईजर एवं हाथों की सफाई करने हेतु निःशुल्क साबुन वितरण करवाने हेंतु प्रशासन से समन्वय किया गया।
- न्यास के कार्यरत ग्राम पंचायत एंव शहरी मलिन बस्तियों में लोगो को टिकाकरण करवाने एवं उसका पंजीयन करवाने हेतु जन जागरूकता की गई।
- न्यास द्वारा 30000 मनरेगा मजदूरों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया।

- न्यास द्वारा 2000 परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य कीट का वितरण किया गया जिसमें सेनिटाईजर, साबुन, मास्क का वितरण किया गया।